कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

परिपत्र संख्या– 626 /सी/क्रय/सर्वे /2011–12 लखनऊः दिनांक– 25 मई , 2011

समस्त क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त,
समस्त जिला गन्ना अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

विषय :– गन्ना सर्वेक्षण पेराई सत्र 2010–11 वास्ते पेराई सत्र 2011–12

प्रत्येक पेराई सत्र में गन्ने के सम्भावित उत्पादन को ध्यान में रखकर चीनी मिलों के गन्ना क्षेत्र का निर्धारण तथा किसानों द्वारा चीनी मिलों को, की जाने वाली गन्ने की आपूर्ति की योजना तैयार की जाती है । गन्ना उत्पादन के सही आंकलन के लिए बोये गये गन्ने के क्षेत्र का सही सर्वेक्षण एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आधारभूत कार्य है, जिसे पूरी शुद्धता, तत्परता एवं निष्ठा से किए जाने की आवश्यकता है । इसके प्रमुख अवयवों में 1– सर्वेक्षण प्रक्रिया, 2– निरीक्षण एवं अनुश्रवण, 3– बेसिक कोटा की सामयिक तैयारी, 4– सर्वेक्षण सूचियों का प्रदर्शन, 5– नये सदस्यों की भर्ती, 6– उपज बढोत्तरी हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण, 7– प्री–कलेण्डर का प्रकाशन इत्यादि का विशेष महत्व है । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देशों का कडाई से पालन किया जाय।

1–गन्ना सर्वेक्षण की प्रकिया :–

1.1 सर्वेक्षण प्रणाली :

गन्ना सर्वेक्षण का कार्य मीट्रिक प्रणाली पर आधारित होगा ।

1.2 सर्वेक्षण की समय–सारणी :–

प्रथम गन्ना सर्वेक्षण का कार्य दिनांक–1–5–2011 से आरम्भ कर दिनांक 20 जून, 2011 तक प्रत्येक दशा में परिशिष्ट–3 में दी गई समय–सारणी के अनुसार पूर्ण किया जायेगा, तथा इस सर्वेक्षण प्रोग्राम की एक प्रति जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय में भी उपलब्ध रहेगी । इसी प्रोग्राम के आधार पर जांचकर्ता अधिकारी गांव में जाकर आकस्मिक निरीक्षण करेगें ।

1.3 सर्वेक्षण के लिए राजस्व अभिलेख :–

अधिकांश चीनी मिलों में राजस्व अभिलेख प्राप्त हो गये हैं, किन्तु जहां अभी नहीं प्राप्त हो सके हैं, वहां की चीनी मिलों का दायित्व होगा कि वे सर्वेक्षण हेतु सुसंगत राजस्व अभिलेख यथा सजरा/नक्शा/खतौनी आदि की एक प्रति दिनांक– 30–4–2011 तक अनिवार्य रूप से ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को उपलब्ध करा दें। राजस्व अभिलेख की एक प्रति सर्वे टीम को उपलब्ध करा दी जाय, जिसे सर्वे टीम सर्वे के समय अपने पास अनुरक्षित रखेगी ।

1.4 घोषणा पत्र की प्राप्ति अनिवार्य :

1.4.1 सर्वेक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व सभी किसानों से उनके द्वारा बोये गये गन्ना क्षेत्रफल के सम्बन्ध में परिशिष्ट–1 में निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाय । प्राप्त घोषणा पत्रों का शत–प्रतिशत सत्यापन सर्वेक्षण के समय किया जायेगा ।

1.4.2. यदि किसी किसान द्वारा अपरिहार्य कारणवश घोषणा–पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा सके तो सर्वेक्षण के समय घोषणा–पत्र सम्बन्धित किसानों से अवश्य प्राप्त कर लिया जाय तथा मौके पर ही इसका सत्यापन किया जाय ।

1.4.3. यह स्पष्ट किया जाता है कि जो किसान घोषणा पत्र उपलब्ध नहीं करायेगें, आगामी पेराई सत्र 2011–12 में उनकी गन्ना आपूर्ति कराना सम्भव नहीं होगा।

1.5 गन्ना सर्वेक्षण हेतु कार्यक्रम का निर्धारण :–

गन्ना सर्वेक्षण हेतु विस्तृत कार्यक्रम का निर्धारण ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षण द्वारा चीनी मिल से परामर्श कर संयुक्त दल का गठन दिनांक–25–4–2011 से पूर्व कर लिया जाय । ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक सर्वेक्षण कार्यक्रम एवं इसमें लगे कर्मियों की सूचना सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी को दिनांक–26–4–2011 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगें, जो अपने स्तर से समुचित मार्ग दर्शन एवं अनुश्रवण कर सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करायेगें । सर्वेक्षण कार्यक्रम एवं इसमें लगे कर्मियों की सूचना सम्बन्धित चीनी मिलों को भी उपलब्ध करा दी जाय ।

1.5.1 उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियम) अधिनियम–1953 की धारा 5 (1) (ए) के अनुसार संयुक्त रूप से किए गये गन्ना सर्वेक्षण में लगने वाले समिति स्टाफ पर होने वाला व्यय सम्बन्धित चीनी मिल वहन करेगी । सर्वेक्षण में समिति द्वारा यथा आवश्यक स्टाफ/कर्मचारी रखे जायेगें जिसकी स्वीकृति परिक्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त से प्राप्त की जायेगी तथा यह अवधि दो माह से अधिक नही होगी ।

1.5.2 गन्ना सर्वेक्षण के प्रयोजन हेतु प्रत्येक चीनी मिल क्षेत्र में स्टाफ की उपलब्धता के अनुरूप 500 से 1000 हेक्टेयर तक की अस्थाई सर्किलें बनायी जायेगीं । गन्ना सर्वेक्षण टीम में एक कर्मचारी राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक/समिति कर्मचारी तथा एक कर्मचारी चीनी मिल का होगा। प्रत्येक सर्किल हेतु एक सर्किल इन्चार्ज नियुक्त किया जायेगा । सर्किल इन्चार्ज राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक/समिति कर्मचारी होगा ।

1.5.3 गन्ना सर्वेक्षक कम सहायक (चैनमैन) की संख्या सर्वेक्षण टीम के अनुसार ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा तय की जायेगी । चैनमैन के पारिश्रमिक के भुगतान का दायित्व चीनी मिल का होगा । उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा

खरीद विनियमन) अधिनियम–1953 की धारा–14 (1) (ए) के अन्तर्गत गन्ना सर्वेक्षण में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित चीनी मिलों द्वारा की जायेगी।

1.5.4 .प्रत्येक जोन में नियुक्त गन्ना विकास निरीक्षकों के साथ–साथ समिति में नियुक्त विशेष सचिव/सचिव, प्रभारी सचिव, को गन्ना सर्वेक्षण कार्य के लिए ब्लाक प्रभारी नियुक्त किया जायेगा, जो अपने पर्यवेक्षण में इस कार्य को सम्पन्न करायेगें । जोन स्तर पर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक तथा जिला स्तर पर जिला गन्ना अधिकारी सर्वेक्षण कार्य के लिए उत्तरदायी होगें ।

1.5.5 गन्ना सर्वेक्षण टीम में उन्हीं कर्मचारियों को रखा जायेगा, जो गन्ना सर्वेक्षण की मूलभूत जानकारी रखते हों। गन्ना सर्वेक्षण टीम का प्रशिक्षण दिनांक–25–4–2011 से 28–4–2011 तक की तिथियों में मिल स्तर पर जिला गन्ना अधिकारियों के निर्देशन में आयोजित किया जाय। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक प्रशिक्षण के संयोजक होगें। प्रशिक्षण सम्पन्न होने पर सर्वे टीम को समस्त वांछित अभिलेख/सामग्री उपलब्ध करा दिये जांय ।

1.5.6. ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं चीनी मिल द्वारा टीमवार, तिथिवार, ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण कार्यक्रम का विधिवत् प्रचार–प्रसार किया जायेगा, ताकि सर्वे टीम के गांव में पहुंचने की जानकारी कृषकों को हो जाय, जिससे उनका पूर्ण सहयोग सर्वे कार्य में मिल सके ।

<u>1.6 पूर्व वर्ष के सर्वेक्षण अभिलेखों की अभिरक्षा :–</u>

1.6.1 वर्तमान फसल का सर्वेक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्षो के समस्त गश्ती केन सर्वे रजिस्टर उनके कार्यालय में जमा करा लिए गये हैं । वे इस आशय का प्रमाण–पत्र जिला गन्ना अधिकारी को उपलब्ध करायेगें । जिला गन्ना अधिकारी इन अभिलेखों को अपनी अभिरक्षा में किसी उपयुक्त स्थान पर अनुरक्षित करेगें, ताकि पूर्व वर्ष के आंकड़ों के आधार पर बिना प्लाटवार माप किए ही सर्वेक्षण अभिलेख तैयार करने की सम्भावना को समाप्त किया जा सके।

1.6.2 गत वर्ष के सर्वेक्षण से सम्बन्धित जो आंकडे समितियों/चीनी मिलों के कम्प्यूटर में अनुरक्षित हों, उन्हें भी कम्प्यूटर सी0डी0 में लेकर, उपर्युक्तानुसार जिला गन्ना अधिकारी द्वारा अनुरक्षित किया जायेगा । इन आंकडों को कम्प्यूटर सी0डी0 पर अनुरक्षित कर लेने के उपरान्त गत वर्ष के सर्वे डाटा को कम्प्यूटर से हटा दिया जायेगा ।

<u>1.6.2.(1) गन्ना सूचना प्रणाली (ै)</u>

पेराई सत्र 2010–11 में कृ ाकों को गन्ना आपूर्ति व त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान की सुविधा की दृ ट से प्रदेश में पहली बार सूचना प्रणाली लागू की गई जिसमें निजी क्षेत्र की प्रत्येक चीनी मिल में वेबसाइट, एस0एम0एस0, आई0वी0आर0एस0 तथा हैन्ड हेल्ड कम्पयूटर सिस्टम लागू कराया गया।

उपरोक्त सूचना प्रणाली का लाभ गन्ना कृ ाकों को पहुँचाने के दृ टगत गन्ना सर्वेक्षण के कार्य में निम्न प्रकार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायें :–

1–सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी किसानों से उनके द्वारा बोये गये गन्ना क्षेत्रफल के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–1) पर घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरने के सम्बन्ध में एस0एम0एस0 के माध्यम से कृ ाकों को सूचना भेजी जाय।

2–सर्वे टीम के क्षेत्र क्षेत्र में जाने की तिथि, सर्वेयर के नाम व मोबाईल नम्बर की सूचना तीन दिन पूर्व एस.एम.एस. के माध्यम से कृ ाकों को भेजी जाय।

3–सर्वेक्षण कार्य में हैन्ड हेल्ड कम्प्यूटर का प्रयोग किया जाय। पुराने एच.एच.सी. से यथा सम्भव जी.पी.एस. जोड़ने की व्यवस्था की जाय।

4–कृ ाकों के खेतों का सर्वे करने के उपरान्त उनके खेतों के रकबे से सम्बन्धित सूचनाएं एस0एम0एस0 के माध्यम से कृ ाकों को भेजी जाय।

5–ग्प्रमों में सर्वे सूचियों का प्रदर्शन करने से तीन दिन पूर्व इसकी सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से कृ ाकों को भेज दी जाय।

6–सर्वे कार्य से सम्बन्धित आंकड़ों को चीनी मिलें अपनी वेबसाइट पर दैनिक रूप से अपलोड कराती रहेंगी तथा अन्तिम रूप से सर्वे पूर्ण होने के उपरान्त समस्त विवरण व आंकड़ें चीनी मिलें अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेगी तथा इसकी सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से कृ ाकों कों भेजी जायेगी।

<u>1.6.2.(2) गन्ना सर्वेक्षण में जी0पी0एस0 का प्रयोग</u>

पेराई सत्र 2011–12 के लिए गन्ना सर्वेक्षण का कार्य में जी.पी.एस. द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया । जी0पी0एस0 से सर्वेक्षण कार्य में ुद्धता व समय की बचत रहेगी साथ ही सर्वे में त्रुटियों की सम्भावना भी कम होगी। सर्वे पर व्यय भी कम होगा तथा बिचौलियों से भी बचा जा सकेगा। इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिए जा रहें है :–

1– सर्वे कार्य में जी.पी.एस. प्रणाली का प्रयोग ज्तपंस इंेपे पर किया जाय।

<u>1.7 सर्वेक्षण की विधि :–</u>

1.7.1 सर्वेक्षण कार्य राजस्व अभिलेख यथा नक्शा/सजरा एवं खतौनी आदि के आधार पर प्लाटवार विभाग द्वारा निर्धारित गश्ती केन रजिस्टर के प्रारूप पर किया जायेगा तथा इसकी दो प्रतियां तैयार की जायेगीं ।

1.7.2 गन्ना सर्वेक्षण के समय खेत उसी किसान के नाम अंकित किया जायेगा, जिसके नाम राजस्व अभिलेखों में भूमि अंकित हो, किन्तु रेल, राजस्व वन एवं सिंचाई विभाग द्वारा यदि किसी किसान को पट्टे पर भूमि दी गई है, तो इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाने पर बोये गये गन्ने का सर्वेक्षण पट्टेदार के नाम किया जायेगा।

1.7.3 गन्ना सर्वेक्षण कार्य प्रत्येक खेत की चारों भुजाओं को नापते हुए क्षेत्रफल का आंगणन किया जायेगा ।

1.7.4 गन्ना सर्वेक्षण करते समय अन्य सूचनाओं के साथ–साथ गन्ने की प्रजातियों के नाम, फसल की दशा आदि का विवरण सही प्रकार अंकित किया जायेगा, जिसमें खेत पौधशाला अथवा प्रदर्शन के रूप में बोया गया है, तो उसका क्षेत्रफल भी अंकित किया जायेगा ।

1.7.5 सर्वेक्षण करते समय किसान द्वारा उपलब्ध कराये गये घोषणा पत्र का परीक्षण करके सर्वे टीम द्वारा पुष्टि की जायेगी । सर्वेक्षणकर्ता सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गये विवरण के आधार पर किसानों द्वारा उपलब्ध कराये गये घोषणा पत्र की प्रविष्टियों का भी सत्यापन करेगें । यदि यह पाया जाता है कि घोषणा पत्र में जानबूझकर गलत प्रविष्टि दर्शायी गई है, तो परिशिष्ट–1 के नोट संख्या–3 के अनुसार कार्यवाही हेतु अलग से परिशिष्ट–4 पर सूची उपलब्ध करायेगें ।

1.7.6 सर्वेक्षण के दौरान एकत्र विवरण को ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक तथा सम्बन्धित चीनी मिल के प्रभारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से प्रमाणित होने के बाद गन्ना विकास परिषद के अभिलेखों में रखा जायेगा । इन प्रमाणित अभिलेखों को समिति/चीनी मिल में उपलब्ध कम्प्यूटर में अनुरक्षित किया जायेगा ।

1.7.7 ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक प्रत्येक शनिवार को सर्वेक्षण की समीक्षा करते हुए, रिपोर्ट जिला गन्ना अधिकारी को उसी दिन उपलब्ध करायेगें । जिला गन्ना अधिकारी, जोन से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित कर सम्बन्धित उप गन्ना आयुक्त को प्रत्येक सोमवार को प्रेषित करेगें । क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त जनपद से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित कर प्रत्येक मगलवार को प्रभारी उप गन्ना आयुक्त, सांख्यिक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रेषित करेगें ।

2. गन्ना सर्वेक्षण कार्य का निरीक्षण एवं अनुश्रवण :–

2.1 गन्ना सर्वेक्षण का आकस्मिक निरीक्षण तथा प्रगति का अनुश्रवण समय–समय पर सम्बन्धित गन्ना समिति के अध्यक्ष, जिला गन्ना अधिकारी एवं क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, मुख्यालय द्वारा गठित जांचदल द्वारा किया जायेगा । क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त अपना, जिला गन्ना अधिकारियों तथा सहायक सांख्यिक अधिकारी का निरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित करेगें । इसी प्रकार जिला गन्ना अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, विशेष सचिव/सचिव एवं ब्लाक प्रभारियों तथा अन्वेषक–कम– संगणक का निरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर सूचित करेगें । क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, द्वारा तैयार किए गये निरीक्षण कार्यक्रम की एक प्रति गन्ना आयुक्त कार्यालय (क्रय अनुभाग) को प्रेषित करेगें । जिला गन्ना अधिकारी द्वारा तैयार किए गये निरीक्षण कार्यक्रम की प्रति अपने कार्यालय में अनुरक्षित करते हुए, एक प्रति सम्बन्धित उप गन्ना आयुक्त को प्रेषित करेगें ।

2.2 गन्ना विकास परिषद एवं जिला स्तर पर ऐसे ग्रामों की सूची तैयार कर ली जाय, जिन गांवों में विगत पेराई सत्र में गन्ना सर्वे सम्बन्धी अधिक शिकायतें

प्राप्त हुई थीं । निरीक्षणकर्ता अधिकारी इन गांवों को अपने निरीक्षण में आवश्यक रूप से सम्मिलित करेगें ।

2.3 समस्त उप गन्ना आयुक्त द्वारा अपने परिक्षेत्र से सम्बन्धित सर्वे निरीक्षण रिपोर्ट पाक्षिक रूप से उप गन्ना आयुक्त (क्रय) को प्रेषित की जायेगीं ।

2.4 **गन्ना आयुक्त अधिष्ठान के अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण :**
गन्ना आयुक्त अधिष्ठान के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी समय–समय पर सर्वेक्षण कार्य का आकस्मिक निरीक्षण करेगें ।

2.5 इस वर्ष सर्वेक्षण एवं सत्यापन का कार्य निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा परिशिष्ट–3
में दिये गये मानक के अनुसार किया जाना है । अतः समस्त निरीक्षणकर्ता अधिकारी अपने लक्ष्यों की पूर्ति समयान्तर्गत सुनिश्चित करेगें ।

<u>3– बेसिक कोटा की समय से तैयारी :–</u>

3.1 इस कार्यालय द्वारा प्रसारित गन्ना पूर्ति के निर्देशों के अनुसार कृषकवार बेसिक कोटे का विवरण समिति स्तर पर दिनांक–15 जून, 2011 से पूर्व परिशिष्ट–2 पर अवश्य तैयार कर लिया जाय, ताकि कृषकवार गन्ना सर्वेक्षण एवं बेसिक कोटा की सूची 1 से 15 जुलाई, 2010 के बीच प्रदर्शित की जा सके । ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, सर्वे प्रदर्शन एवं बेसिक कोटा का तिथिवार, ग्रामवार कार्यक्रम बनाकर सम्बन्धित को सूचित करेगें । इसके साथ ही उन किसानों की सूची भी परिशिष्ट–4 पर तैयार की जाय, जिन्हें गलत घोषणा पत्र देने के कारण गन्ना आपूर्ति से वंचित किया जाना है ।

<u>सर्वेक्षण से सम्बन्धित ग्राम स्तरीय बैठकें एवं सर्वेक्षण सूचियों का प्रदर्शन :–</u>

4.1 ग्रामवार प्रदर्शन की तिथि का व्यापक प्रचार–प्रसार पैम्पलेट/समाचार पत्र आदि के माध्यम से सार्वजनिक स्थल पर किया जाय ।

4.2 सर्वेक्षण समाप्ति के बाद गश्ती केन सर्वे रजिस्टर को दिनांक–25 जून, 2011 से 30 जून, 2011 के मध्य प्रत्येक ग्राम की बैठक में रखकर ग्रामवार तथा समितिवार अनुमोदन प्राप्त कर, अन्तिम किया जायेगा । सम्बन्धित गन्ना विकास निरीक्षक/ ब्लाक इसके लिए उत्तरदायी होगें ।

4.3 ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण सूचियों के प्रदर्शन के पश्चात प्रत्येक गांव के प्रजातिवार पेडी/पौधा के क्षेत्रफल का संकलित विवरण तैयार किया जायेगा, जिस पर सम्बन्धित ब्लाक प्रभारी के हस्ताक्षर होगें ।

4.4 सर्वेक्षण सूची के प्रदर्शन के दौरान किसी कृषक का गन्ना क्षेत्रफल छूट गया है, अथवा गलत अंकित हो गया है, तो ऐसे कृषकों की शिकायत को एक पंजिका में सूची बद्ध करते हुए, 15 दिन के अन्दर गन्ना विकास निरीक्षक की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निस्तारण किया जायेगा ।

4.5 चीनी मिल क्षेत्रवार कृषकों कें प्री–कलेण्डर का वितरण पश्चिमी क्षेत्र की चीनी मिलों हेतु दिनांक–15 अक्टूबर, 2011 तक तथा पूर्वी क्षेत्र की चीनी मिलों हेतु

दिनांक–31 अक्टूबर, 2011 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर दिया जाय । प्री–कलेण्डर वितरण के उपरान्त जो शिकायतें प्राप्त होगीं अथवा अधिक पैदावार सम्बन्धी आवेदन–पत्र प्राप्त होगें, का निस्तारण करने के उपरान्त, अन्तिम कलेण्डर का वितरण किया जायेगा । अन्तिम कलेण्डर मिल चलने के एक सप्ताह पूर्व वितरित किया जाना अनिवार्य होगा ।

5– नये सदस्यों की भर्ती :–

पेराई सत्र 2011–1 के लिए 31 जुलाई, 2011 तक बनाये गये सदस्यों को ही गन्ना आपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी । नये सदस्य बनाने के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा । मृतक सदस्यों के वारिस सदस्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम–77 से 80 एवं समिति की उपविधि के प्राविधानों के अन्तर्गत सदस्य बनाये जायेगें । जो नये सदस्य बनाये जायेगें, उनके भूमि अभिलेखों की पुष्टि एन0आई0सी0 कम्प्यूटर सी0डी0 से प्रिन्ट आउट लेकर करायें । प्रथम बार पेराई कार्य प्रारम्भ करने वाली नई चीनी मिलों में पेराई सत्र 2011–12 हेतु 30 सितम्बर 2011 तक नये सदस्य बनाये जायेगें । नये सदस्यों से उनकी तीन प्रतियों में पासपोर्ट साइज की फोटो एवं बैंक खाता नम्बर भी लिया जाय, जिसे समिति अभिलेखों में अनुरक्षित किया जाय ।

6– उपज बढोत्तरी हेतु प्रार्थना–पत्रों की प्राप्ति व निस्तारण :–

6.1 क्राप कटिंग प्रयोगों के आधार पर प्रत्येक चीनी मिल के लिए प्रति हेक्टेयर औसत उपज जनपदवार निकाली जाती है । कुछ किसानों द्वारा यह मांग की जाती है कि उनके खेत में उत्पादकता औसत उपज से अधिक है, तथा इसके आधार पर उनकी उपज एवं कुल गन्ना उत्पादन को संशोधित करके बेसिक कोटा/सट्टे का आंकलन किया जाय । यह अपेक्षा की जाती है कि उपज बढोत्तरी सम्बन्धी समस्त आवेदन–पत्र दिनांक–15 सितम्बर, 2011 तक निर्धारित शुल्क के साथ एकत्र कर लिए जाय तथा प्राप्ति के क्रम में रजिस्टर में पंजीकृत किए जाय ।

6.2 ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं गन्ना विकास निरीक्षक आवेदनकर्ता किसानों के उपज की शत–प्रतिशत जांच कराकर उपज के वास्तविक आंकडे सम्बन्धित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त

को प्रस्तुत करेगें । ऐसे 25 प्रतिशत, न्यूनतम् 50 प्लाटों की जिला गन्ना अधिकारी द्वारा स्वयं जांच की जायेगीं । परिषद क्षेत्र से प्राप्त आवेदन–पत्रों की जांच के उपरान्त अधिकतम् उपज के 10 प्रतिशत प्रकरण का सत्यापन, विशेष रूप से अधिक उपज को चिन्हित करते हुए, क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त के स्तर से किया जायेगा । स्थिति से सन्तुष्ट होने पर क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त उपज बढोत्तरी पर उचित निर्णय लेगें ।

मुझे विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में गन्ना सर्वेक्षण का यह अति महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण सत्यता तथा स्थलीय स्थिति के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जायेगा ।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार ।

ह0————————

(कामरान रिज़वी)
गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

पृष्ठांकन संख्या— 686 /सी/क्रय/सर्वे/2011—12 लखनऊःदिनांक— 25 मई , 2011

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त सचिव,/विशेष सचिव, सहकारी गन्ना विकास समितियां, उत्तर प्रदेश ।
6. निदेशक, गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0सहकारी चीनी मिल संघ लि0, लखनऊ ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ ।
10. समस्त अधिकारी, मुख्यालय ।
11. अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक, समस्त चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश ।
12. मुख्य प्रचार अधिकारी, मुख्यालय एवं क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, बरेली, मेरठ, लखनऊ एवं गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त का व्यापक प्रचार—प्रसार सुनिश्चित करायें तथा विभागीय बेवसाइट पर अनुरक्षित करायें ।

ह0———————

(अमिताभ प्रकाश)
अपर गन्ना आयुक्त(प्रशा0)
कृते गन्ना आयुक्त,उ0प्र0।

पृष्ठांकन संख्या— 686 /सी/क्रय/सर्वे/2011—12 लखनऊःदिनांक— 25 मई , 2011

उपरोक्त की प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारियों को इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से गन्ना सर्वेक्षण कार्य पर निगरानी रखने का कष्ट करें, तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों से सर्वे कार्य की रैण्डम चेकिंग कराने का कष्ट करें, यदि कहीं अनियमित्ता पायी जाती है, तो उससे अपनी देख—रेख में सही कराने की कार्यवाही करें, ताकि किसानों की प्रतिक्रिया से आप भी अवगत हो सके । कृपया जांच परिणामों तथा किसानों की प्रतिक्रिया से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें ।

2– समस्त मण्डलायुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

ह0–––––

(अमिताभ प्रकाश)
अपर गन्ना आयुक्त(प्र0)
कृते गन्ना आयुक्त,उ0प्र0।

परिशिष्ट–3

1– प्रथम सर्वेक्षण कराने हेतु निर्धारित तिथियां ।

क्र0 सं0	विवरण	प्रथम सर्वेक्षण
1	सर्वे टीम का चयन, प्रशिक्षण, सर्वे सामग्री एवं अभिलेख उपलब्ध कराने तथा तिथिवार, ग्रामवार, प्रचार	25 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2011 तक
2	सर्वेक्षण आरम्भ करने की तिथि	1 मई, 2011 से
3	सर्वेक्षण पूर्ण करने की तिथि	20 जून, 2011 तक
4	प्रथम सर्वे कार्यालय गन्ना आयुक्त में प्रभारी उप गन्ना आयुक्त(सांख्यिक) को उपलब्ध कराने की तिथि ।	30 जून, 2011 तक
5	पर्यवेक्षकीय अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण एवं सत्यापन	7 मई से 10 जुलाई, 2011 तक

6	ग्राम स्तरीय बैठकें एवं सर्वेक्षण सूची का प्रदर्शन	1 जुलाई से 15 जुलाई, 2011
7	ब्लाक प्रभारी द्वारा शिकायती पत्रों के प्राप्त करने की तिथि	1 जुलाई से 20 जुलाई, 2011 तक
8	शिकायती पत्रों के निस्तारण की तिथि	15 जुलाई से 31 जुलाई, 2011 तक
9	प्राप्त शिकायतों के निष्पादन की सूचना गन्ना आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करने की तिथि	7 अगस्त,, 2011

2– प्रत्येक स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में सर्वे की जांच करने के लिए निर्धारित लक्ष्य :

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	जांच हेतु निर्धारित न्यूनतम् लक्ष्य	निरीक्षण अवधि
1	गन्ना विकास निरीक्षक/ सहायक गन्ना रक्षा निरीक्षण/ सहायक परियोजना अधिकारी	200 खेत प्रतिटीम न्यूनतम् 800 खेत	7 मई, 2011 से 20 जून, 2011 तक निरीक्षण कर आख्या ज्येष्ठ गन्ना विकास

			निरीक्षक को सौपेगें।
2	विशेष सचिव/सचिव/सहायक सचिव, सहकारी गन्ना विकास समितियां	200 खेत प्रतिटीम, न्यूनतम् 800 खेत	7 मई, 2011 से 20 जून, 2011 तक निरीक्षण कर आख्या ज्ये0ग0 वि0नि0 को सौपेगें ।
3	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	10 प्रतिशत, न्यूनतम् 600 खेत	15 मई, 2011 से 20 जून, 2011 तक निरीक्षण कर आख्या जिला गन्ना अधिकारी को सौपेगें ।
4	जनपदीय अन्वेषक कम संगणक	प्रत्येक परिषद में 100 खेत, न्यूनतम् 500 खेत	10 मई 2011 से 20 जून, 2011 तक निरीक्षण कर आख्या जिला गन्ना अधिकारी को सौपेगें ।
5	जिला गन्ना अधिकारी	50 खेत प्रति परिषद/ न्यूनतम् 400 खेत	1 जून, 2011 से 30 जून, 2011 तक निरीक्षण कर आख्या क्षेत्रीय संयुक्त/ उप गन्ना आयुक्त को सौपेगें ।
6	क्षेत्रीय सांख्यिक सहायक/ क्षेत्रीय अनुसंधाता/क्षेत्रीय अन्वे ाक–कम –संगणक	50 खेत प्रति परिषद, न्यूनतम् 500 खेत	1 जून, 2011 से 30 जून, 2011 तक निरीक्षण कर आख्या क्षेत्रीय संयुक्त/ उप गन्ना आयुक्त को सौपेगें ।
7	क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त	25 खेत प्रति परिषद, सम्पूर्ण क्षेत्र में न्यूनतम् 250 खेत	10 जून, 2011 से 10 जुलाई, 2011 तक जांच कर आख्या सम्बन्धित नोडल अधिकारी को सौपेगें ।
7	मुख्यालय के नामित नोडल अधिकारी	50 खेत प्रति जनपद, न्यूनतम् 200	10 जून 2011 से 10 जुलाई, 2011 तक निरीक्षण कर आख्या

		खेत	गन्ना आयुक्त को सौपेंगें ।

टिप्पणी :

1. सर्वेक्षण चेकिंग का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाय कि सभी चीनी मिलों का सम्पूर्ण क्षेत्र किसी न किसी पर्यवेक्षकीय अधिकारी द्वारा निरीक्षण से आच्छादित हो जाय । निरीक्षण अधिकारी निर्धारित लक्ष्य के 50 प्रतिशत ऐसे प्लाट की जांच करेगें, जो उसके अधीनस्थ स्टाफ ने जांच की हो, शेष 50 प्रतिशत नये प्लाट की जांच की जायेगी ।

2. सर्वेक्षण पूर्ण कराकर सम्बन्धित कार्यालयों को सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व अपने परिक्षेत्र के लिए सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक का होगा । अपने जनपद में उक्त आख्या को प्राप्त कर गन्ना आयुक्त को सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी/ उप गन्ना आयुक्त का होगा ।

3. सर्वेक्षण की जांच में 5 प्रतिशत से अधिक अन्तर पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा ।

4. सर्वेक्षण चेकिंग कार्यो के समय सभी गन्ना पर्यवेक्षक अपने क्षेत्र से सम्बन्धित ग्रामों की क्रमांकवार सूची तैयार करेगें तथा पहले क्रमांक से लेकर अन्तिम क्रमांक तक सर्वेक्षण का कार्य सम्पादित करेगें । सर्व प्रथम उन ग्रामों से सर्वेक्षण/चेकिंग का कार्य प्रारम्भ किया जाय, जहां से गत वर्ष शिकायतें प्राप्त हुई है । इसकी एक सूची ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक कार्यालय में अनुरक्षित रखी जायेगी ।

(अमिताभ प्रकाश)
अपर गन्ना
आयुक्त(प्र0)
कृते गन्ना आयुक्त,उ0प्र0।

परिशिष्ट–4

1– उन किसानों की सूची जिन्हें, गलत घोषणा–पत्र देने के कारण पेराई सत्र 2011–12 में गन्ना आपूर्ति से वंचित किया जाना है ।

क्र0 सं0	किसानों का नाम / गांव	घोषणा–पत्र में अंकित गन्ना क्षेत्रफल			सर्वेक्षण के दौरान पाया गया गन्ना क्षेत्रफल		
		गन्ने की जाति	पौधा	पेडी	गन्ने की जाति	पौधा	पेडी
1	2	3	4	5	6	7	8

हस्ताक्षर गन्ना पर्यवेक्षक